न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत

कैम्प कोर्ट लदाना

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 63/2016

दर्ज दिनांकः 17/05/2016

निर्णय दिनांक : 29/06/2017

लक्ष्मण पुत्र नानगा जाति जाट निवासीः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

......प्रार्थी

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र नानगा
2. हरिनारायण पुत्र नानगा
3. मूलचन्द पुत्र नानगा

   समस्त जाति जाट निवासीः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

4. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम अंतर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट

उपस्थितः

श्री जगदीश प्रसाद जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ल. 3

निर्णय दिनांकः 29/06/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 204 के खसरा नंबर 3593/1484 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 3594/1484 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 3595/1484 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रेनवाल तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के 1/4-1/4 मुताबिक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर अपने हिस्सेनुसार लगान सरकारी जमा करवाते चले आ रहे है। विवादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 3593/1484 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 3594/1484 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 3595/1484 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है परन्तु नक्शा लट्टा में रकबा की तरमीम नहीं है इसी प्रकार विवादित खसरा नंबरान की रकबे व हिस्सेनुसार खातेदारान की आराजी में नक्शा लट्टा में मुताबिक तकासमा, तरमीम अंकित की जानी चाहिये थी परन्तु विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लट्टा में तरमीम नहीं होकर मात्र जमाबंदी में बटा नंबर डाल दिये गये है जबकि नक्शा लट्टा में किसी प्रकार की कोई तरमीम नहीं की गयी है जिसको लेकर पक्षकारान में आये दिन मेर कोर को लेकर विवाद होता रहता है परन्तु नक्शा लट्टा में तरमीम नहीं होने से अप्रार्थीगण व अन्य पडौसी काश्तकार जबरन कब्जा करने की नियत से आये दिन मेर कोर को तोडते रहते है इसलिये तरमीम किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। खसरा नंबर 3593/1484 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 3594/1484 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 3595/1484 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा राजस्व जमाबंदी में दर्ज है परन्तु नक्शा लट्टा में उक्त रकबे की तरमीम नहीं हो रखी है लेकिन उक्त खसरा नंबर के मुताबिक तकासमा अनुसार खातेदार अपने-अपने हिस्से को बाहमी बंटवारा अनुसार मेर कोर कायम कर रखी है नक्शे में मूल नंबर दर्ज होने से प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने की नियत से आये दिन लडाई झगडा करते आ रहे है व बिना तरमीम सीमाज्ञान किया जाना असंभव है इसलिये विवादग्रस्त आराजी की रकबे अनुसार व हिस्सेनुसार तरमीम करवाया जाना प्रार्थी को लाजमी आया है। नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण व

पडौसी खातेदार प्रार्थी को हैरान परेशान कर आराजी से बेदखल करना चाहते है इसलिये प्रार्थी को अपने हितो की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण किये जाने तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस मान्य न्यायालय में पेश करना लाजमी आया है। हाल ही में दिनांक 10.05.2016 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व पडौसी खातेदार आराजी पर आये व प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी की मेर कोर को जबरन तोडकर अपने आराजी में मिलाने की नियत से डोल डालने लगे तो प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थीगण व अन्य पडौसी खातेदार कहने लगे कि हमारा हिस्सा रकबे अनुसार आपके रकबे में आता है तब प्रार्थी ने हल्का पटवारी से पैमाईश करवाने की कही तो हल्का पटवारी ने तरमीम करवाने का आदेश लाने को कहां तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को तरमीम करवाने हेतु कहा तो कहने लगे कि हमे तरमीम नहीं करवानी इसलिये अप्रार्थीगण के मना करने व सहमति नहीं देने के करण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र तरमीम हेतु पेश करना लाजमी आया है विवादित आराजीयात का वैधानिक रूप से सीमाज्ञान प्रत्येक नंबर का नहीं हो जाता अप्रार्थीगण को पाबंद करना न्यायोचित होगा कि तरमीम होने तक कब्जे काश्त मजाहमत नहीं करे न किसी प्रकार का निर्माणः आदि करे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य मूल विवाद सीमा को लेकर है प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी को काफी उन्नत व उपजाऊ कर मौके पर काबिज है परन्तु नक्शा लट्टा में तरमीम नहीं होने से अप्रार्थीगण व पडौसी खातेदार खसरा नंबर 3593/1484, 3594/1484 व 3595/1484 में दर्ज प्रार्थी के हिस्से व कब्जे में व्यवधान उत्पन्न करते है व मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा है तथा प्रार्थी की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी पर ऐनकेन प्रकारेण कब्जा कर बेदखल करने की फिराक में है इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नक्शा लट्टा में तरमीम करवाने हेतु पेश करना लाजमी आया है। अप्रार्थीगण ऊंची पहुच व प्रभावशाली व्यक्ति है तथा भू माफियो से संपर्क में है जो अन्य पडौसी काश्तकारो को अपने जैर असर लेकर राजस्व कारकुनानो से साझकर गलत सीमाज्ञान प्रार्थी की अनुपस्थति में कर मौका रिपोर्ट गलत बनाकर जबरन कब्जा करने की नियत में है जिन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित होगा। पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद सीमा व नक्शा ट्रेस को लेकर है जिसके लिये तहसीलदार फागी से विवादित खसरा नंबर 3593/1484, 3594/1484, 3595/1484 की मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित होगा जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद का सही निस्तारण हो सके।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी वर्णित वाद पत्र का कब्जे व रिकॉर्ड अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश फरमावे जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 03.06.2016 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से पैरोकार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वाद में अंकित खसरा नंबरो की नक्शा लट्टा में कोई तरमीम नहीं है लेकिन पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मूल खसरा नंबर 1484 में पांच व्यक्तियो को आवंटन हुआ है। ग्राम रेनवाल मांजी में खसरा नंबर 1484 में पांच व्यक्तियो को आवंटन है जिसमे खसरा नंबर 3596/1484 रकबा 0.11 बिस्वा की तरमीम नक्शे में हो रही है, शेष 4 आवंटियो की तरमीम नहीं है तथा खसरानंबर की रकबा बरारी करने पर रकबा कम बैठता है। अतः जमाबंदी अनुसार तरमीम किया जाना संभव नहीं है। सभी आवंटियो खातेदारो के सहमत होने पर हिस्से अनुसार रकबा कम करते हुए तरमीम संभव है।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारान ने अपने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये है कि आराजी भूमि खाता संख्या 204 के खसरा नंबर 3593/1484 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 3594/1484 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 3595/1484 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिस हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने हिस्से 1/4-1/4 की नक्शा लट्टा में तरमीम किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम पक्षकारान के मध्य गांव व समाज के मौजिज व्यक्तियो की समझाईश से आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है जिसकी रूह के अनुसार हम पक्षकारान के मध्य मुताबिक कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नक्शा लट्टा में तरमीम की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा अनुसार खर्चा पक्षकारान मुकदमा अपना-अपना वहन करेगे। राजीनामा से हम पक्षकारान एवं वारिसान उत्तराधिकारी पाबंद रहेगे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट, राजीनामा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 3593/1484 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 3594/1484 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 3595/1484 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात के प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नक्शा लट्‌टा में वादग्रस्त आराजीयात की तरमीम नहीं हो रखी है। तहसीलदार फागी की रिपोर्ट से साबित पाया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की तरमीम नहीं की जा सकती है। पक्षकारान के कब्जेनुसार ही तरमीम की जा सकती है।

चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान कब्जेनुसार वादग्रस्त आराजीयात की तरमीम नक्शे में करवाने हेतु सहमत है, न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की तरमीम के आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजीनामा व तहसीलदार फागी की रिपोर्ट अनुसार आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 3593/1484 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 3594/1484 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 3595/1484 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजी का पक्षकारान के कब्जे अनुसार समस्त खातेदारान की उपस्थिति में नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रेनवाल में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी